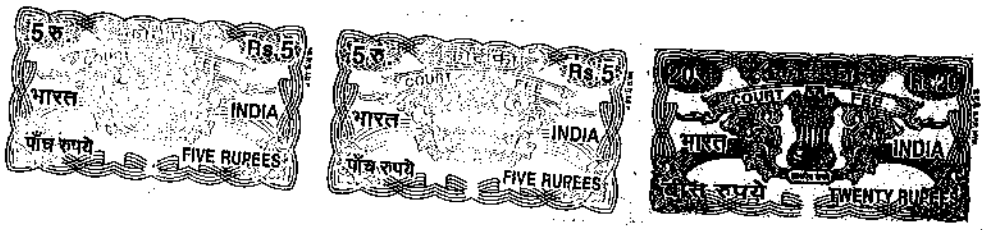

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–सागर A-387-II-16

सुरेश कुमार राय तनय स्व. श्री राजाराम राय निवासी–ग्राम सेमरा झिला, तहसील राहतगढ जिला–सागर (म.प्र.)

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

.....प्रत्यर्थी

न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 303/बी–121/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 11.01.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 44 के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से यह अपील निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, तहसीलदार राहतगढ़ के समक्ष एक झूठी शिकायत अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम बहादुरपुर की कृषि भूमि खसरा नं. 171/1 रकबा 1.84 है0 में से मिट्टी खोदकर ईट का निर्माण किया गया है उक्त भूमि अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती विमला पत्नी सुरेश कुमार राय के नाम पर है।

2– यहकि, शिकायतकर्ता लीलाबाई जोजे नन्हेलाल उर्फ राम नारायण निवासी 95/1 वियावली मेन रोड़ इन्दौर के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जाना बताया गया है, जबकि ऐसे शिकायती आवेदन रिकार्ड में नहीं है। ओर न ही लीलाबाई जोजे नन्हेलाल की भूमि खसरा नं. 16/1 रकबा 1.15 है0 में किसी भी जॉचकर्ता द्वारा अवैध ईट निर्माण हेतु मिट्टी की खुदाई नहीं पायी गयी इस प्रकार स्पष्ट है कि झूठी शिकायत की गयी।

3– यहकि, पटवारी प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने ग्राम बहादुरपुर की कृषि भूमि खसरा नं. 171/1 रकबा 1.84 है0 में से मिट्टी खोदकर ईट का निर्माण किया गया है, उक्त ईटो का निर्माण अपीलार्थी द्वारा अपने खेत में बने पुराने कुऐं के निर्माण हेतु किया गया है उक्त कुऐं निर्माण हेतु ईटों का उपयोग कृषि उपयोग हेतु माना जाता है। अपीलार्थी ने सम्पूर्ण मिट्टी बनी ईटो का उपयोग भी उसी खेत में किया है उक्त मिट्टी का उपयोग कृषि भिन्न कार्य के लिये नहीं किया गया है इस कारण अपीलार्थी मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 3 (3) की छूट पाने का पात्र है। इसलिये अपीलार्थी पर शास्ति अधिरोपित किया जाना अवैध है।

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. A. 387/11/16 ..... जिला ... सागर .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-3-16	प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने गए, और उसके प्रकाश में अभिलेख का परिशीलन किया गया। तर्क में अपील मेमों में लिखे बिन्दुओं को दोहराते हुए यह कहा गया कि अपीलार्थी ने अपने स्वयं के उपयोग के लिए अपने खेत से मिट्टी खोदकर ईंटें बनाई हैं। अतः, धारा 247 (7) MPLRC में कार्यवाही कर उसपर अर्थदण्ड आरोपित किया जाना गलत है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अपने खेत में 15 फीट X 15 फीट लम्बा चौड़ा और 10 फीट गहरा गढ़ा खोदकर मिट्टी निकाली है और ईंटें बनाई हैं। उसके खेत से 30,000 ईंटे जप्त भी हुई हैं। SDO के आदेश दि. 7.2.15 में यह लिखा है कि अपीलार्थी ने जो जवाब दिया वह सन्तोषप्रद नहीं था, अर्थात् उसे पक्ष समर्थन का अवसर मिला था। कलेक्टर ने अपने आक्षेपित आदेश में यह स्पष्ट लिखा है कि प्रकरण तहसीलदार और खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर बना है।	

[कृ. प. उ.

A-387-II/16 अपील

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण में अधीनस्थ स्तर के अभिलेखों के परिशीलन और विचार उपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अपीलार्थी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही स्पष्ट एवं ठोस आधारों पर की गई है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः मैं यह अपील अग्राह्य करके समाप्त करता हूँ। आदेश पारित। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा. द. हो। सदस्य 02-3-16	